न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0 1397/2022,
सरकार बनाम लक्ष्मी

अ0सं0 238/2022
धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0ऐक्ट
थाना–बेहटा मुजावर, जनपद–उन्नाव

आरोप

मैं, महेन्द्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव, एतद्व द्वारा आप– लक्ष्मी पत्नी चन्दन के विरूद्ध निम्न आरोप विरचित करता हूँ:–

यह कि दिनांक 30.08.2022 समय 14.30 बजे स्थान अटवा बैंक थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के अन्तर्गत आप पुलिसपार्टी के द्वारा पकड़े जाने पर आपके कब्जे से हांथ में लिये हुए झोले में पन्नी में 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ जिसे रखने एवं विक्रय करने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था । इस प्रकार आपने एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट की धारा 8/20 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के संज्ञान में है ।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए ।

दिनांक 23.03.2023.

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव,

आरोप अभियुक्ता उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिनको उसने इंकार किया तथा परीक्षण चाहा ।

दिनांक 23.03.2023.

(महेन्द्र श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव,

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03,उन्नाव
सत्र परीक्षण सं0 1397/2022,
सरकार बनाम लक्ष्मी

अ0सं0 238/2022
धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0ऐक्ट
थाना–बेहटा मुजावर, जनपद–उन्नाव

<u>23.03.2023</u>

पत्रावली पेश हुई ।

अभियुक्ता लक्ष्मी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित आयी।

अभियुक्ता को नकले प्रदान की गयी ।

अभियुक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को आरोप पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी चन्दन के विरूद्ध एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट की धारा 8/20 का प्रथम दृष्टया अपराध पाये जाने पर तदनुसार आरोप विरचित किया गया, जिससे उसने इंकार किया तथा परीक्षण चाहा ।

वाद दिनांक 18.04.2023 को वास्ते साक्ष्य पेश हो । साक्षीगण नियत तिथि के लिए तलब हो ।

विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 3, उन्नाव,
23.03.2023